पत्र सं0-विधि-4(1) रोलर फ्लोर मिल (2015-16) 923 / 1516029 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि-अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक 6 अगस्त ,2015

समस्त अधिकारीगण,

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- क0नि0-2-1142/ग्यारह -2015-9(139)/13 दिनॉक 05 अगस्त 2015 के साथ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-6 के अधीन उत्तर प्रदेश में आटा , मैदा , सूजी के निर्माता फ्लोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा वर्ष 2015-16 (दिनॉक 01-04-2015 से दिनॉक 31-03-2016 तक) मे आटा मैदा सूजी के निर्माण में प्रयुक्त गेहूँ की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के विकल्प में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

शासन के उक्त पत्र के साथ प्राप्त निर्देश एवं प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र सलग्न है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें तथा इस समाधान योजना से प्राप्त धनराशियों के ऑकड़ो के सम्बंध में पूर्व की भॉति ऑकड़े मुख्यालय के विधि अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोपरि।

(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर

मुख्यालय , लखनऊ

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक, उार प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0

(5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0)वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश

(10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

(11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

(14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उार प्रदेश।

(15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11. सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा।

(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में।

(20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं।

(21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।
(23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
(24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।
(25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
(27) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
(30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
(32) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
(33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
(34) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से
(35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
(36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
(37) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
(38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
(39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
(43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगली,चौक,वाराणसी।
(44) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
(45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
(46) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
(47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
(48) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
(49) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।
(50) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाउस , आगरा ।
(52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
(54) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ।
(57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
(59) श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।
(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ
(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)
(72) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय . लखनऊ

संख्या–क0नि0–2–1152 /ग्यारह–2015–9(139)/13

प्रेषक,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनॉक::05 अगस्त, 2015

विषयः रोलर फ्लोर मिलों एवं आटा चक्कियों द्वारा कय किए जा रहे गेहूँ पर कय कर के विकल्प में वर्ष 2015–2016 के लिए समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–6 के अधीन उत्तर प्रदेश में आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फ्लोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा वर्ष 2015–2016 (दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक) में आटा, मैदा, सूजी के निर्माण में प्रयुक्त गेहूं की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के विकल्प में एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी जाय। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

2– कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराने, योजना का व्यापक प्रचार व प्रसार भी करवाने तथा प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र/अनुबन्ध पत्र पूर्व की भॉति निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

J.C. (विधि)
6/8/15

भवदीय,
05/8/15
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश में स्थित आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फ्लोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा वर्ष 2015–16 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक) में आटा, मैदा, सूजी के निर्माण में प्रयुक्त गेहूँ की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत एकमुश्त समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश।

उत्तर प्रदेश में स्थित आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फ्लोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा वर्ष 2015–16 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक) में आटा, मैदा, सूजी के निर्माण में प्रयुक्त गेहूँ की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 से प्रत्येक वर्ष में 18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए तथा इसे उत्पादन क्षमता के 120 प्रतिशत के उत्पादन तक सीमित रखते हुए निम्न शर्तों के अधीन एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी जाय:

वर्ष	रोलर बॉडी की लम्बाई	रोलर फलोर मिलों द्वारा की गई पिसाई / उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के % के रुप में	प्रस्तावित समाधान धनराशि प्रति रोलर बॉडी (रु0 में)
2015-16	40 इंच तक	100% तक	रु0 11,01,235.00
,,	40 इंच तक	100% से अधिक एवं 120%तक	रु0 14,68,307-00
,,	40 इंच से अधिक	100% तक	रु0 13,21,478.00
,,	40 इंच से अधिक	100% से अधिक एवं 120% तक	रु0 16,88,558.00

(i) अधिष्ठापित क्षमता के 120 प्रतिशत से अधिक के पिसाई / उत्पादन के लिए समाधान योजना अनुमन्य न होगी। जिस क्षमता के लिए समाधान योजना अपनायी जाये उसके अनुपात से अधिक गेहूँ की खरीद किये जाने पर उस अधिक की गयी खरीद पर नियमानुसार कर व ब्याज का भुगतान करना होगा।

(ii) 40 इंच तक की एक रोलर बॉडी की अधिकतम क्षमता 3000 हजार मैट्रिक टन वार्षिक तथा 40 इंच से अधिक एक रोलर बॉडी की अधिकतम क्षमता 3500 मैट्रिक टन प्रति रोलर बॉडी वार्षिक निर्धारित है। 30 इंच साईज के 3 चक्की प्लान्ट अथवा 24 इंच साईज के चार चक्की प्लान्ट 40 इंच साईज की एक रोलर बॉडी की क्षमता के बराबर होते हैं, अत: चक्की प्लान्ट पर समाधान धनराशि उक्त के हिसाब से व उसी अनुपात में निर्धारित की जायेगी I

(iii) समाधान राशि 1 अप्रैल, 2015 से समानुपातिक रुप से देय होगी।

(iv) समाधान योजना अपनाने हेतु व्यापारियों द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र अपने कर निर्धारक अधिकारी को समानुपातिक रुप से समाधान धनराशि का 5/12 भाग सहित दिनांक 15 अगस्त , 2015 तक प्रस्तुत करना होगा। देरी के लिए अधिनियम के अधीन स्वीकृत कर पर नियमानुसार देय ब्याज एवं समाधान धनराशि सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक स्वीकार किया जा सकता है ।

(v) समाधान योजना वाले व्यापारियों द्वारा निर्धारित समाधान धनराशि का क्रमश: 1/12 भाग दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक एवं 1/12 भाग दिनांक 15 नवम्बर, 2015 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 जनवरी, 2016 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 फरवरी, 2016 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 मार्च, 2016 तक जमा किया जाना होगा।

(vi) यदि ऊपर प्रस्तर(4) एवं (5) में निर्धारित तिथि तक कोई राशि जमा नहीं की जाती तो उक्त अवधि/ तिथि के बाद ठीक अगली तिथि से राशि जमा होने तक की तिथि तक उसपर अधिनियम के अधीन स्वीकृत कर के रुप में नियमानुसार ब्याज भी देय होगा । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित व्यापारी के विरुद्ध बकाया देय एकमुश्त राशि की वसूली मालगुजारी की बकाया की वसूली की भॉति भी की जायेगी और उसके विरुद्ध यथास्थिति अभियोजन /अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है ।

(vii) प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी स्थानीय अथवा अन्य जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।ऐसी जांच के समय व्यापारी अथवा उसके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जॉच में पूरा सहयोग देंगें । व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है ।

(viii) समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को योजना के अनुरुप गेहूँ की खरीद करने पर क्रय कर देय नहीं होगा ।

(ix) रोलर फ्लोर मिल या आटा चक्की की अधिष्ठापित क्षमता की जांच करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी स्वतंत्र होंगे, क्षमता के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा।

(x) निर्माता इकाई की क्षमता में जिस माह में वृद्धि होती है , बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार उस पूरे माह के लिये शेष समाधान राशि अगले माह की जमा की जाने वाली किश्त के साथ जमा की जायेगी । आगे के माहों में अनुपातिक रुप से बढ़ी हुई समाधान धनराशि जमा की जायेगी ।

(xi) यदि कोई इकाई वर्ष के दौरान प्रारम्भ होती है तो उसके द्वारा गेहूँ की खरीद के माह से समाधान धनराशि देय होगी ।

(xii) समाधान योजना अपनाने वाली रोलर फ्लोर मिलों/आटा चक्कियों को शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

(xiii) एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात् इसे वापस नही लिया जा सकता है ।

(xiv) विवादित बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा ।

([illegible])
संयुक्त सचिव
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन [illegible]
उ० प्र० शासन।

उत्तर प्रदेश में स्थित आटा , मैदा , सूजी के निर्माता फलोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा उ0 प्र0 वाणिज्य कर अधिनियम 2008 की धारा -6 के अन्तर्गत दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र

कर निर्धारण अधिकारी

खण्ड- मण्डल / उपमण्डल-----------------------

महोदय,

मै फर्म/कम्पनी सर्वश्री ----------------जिसका मुख्यालय ------------------पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय------------- द्वारा टिन सख्या--------------------- दिनॉक----------------से प्रभावी जारी किया गया है / अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर दिनॉक ---------------------को प्रार्थना पत्र ऑन लाईन पंजीयन हेतु अपलोड कराया है, का स्वामी / साझीदार / प्रबन्ध संचालक है । मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं का विवरण निम्न है:-

----

2- मैने उत्तर प्रदेश में स्थित आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फ्लोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा वर्ष 2015-16 में (दिनॉक 1-04-2015 से दिनॉक 31-03-2016 तक) उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत देय वाणिज्य कर के विकल्प में एक मुश्त समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने के सम्बंध में शासन के निर्देशों को स्वयं पढ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली-भॉति समझ लिया है । इन निर्देशों की सभी शर्ते मुझे बिना हिचक मान्य हैं उन्हीं के अधीन में यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

3- दिनॉक 01-04-2015 को गेहूँ का स्टाक -----------------था । उक्त फर्म में रोलर बॉडी की संख्या ---------------- तथा क्षमता ---------- है । अधिनियम के अधीन एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार रु0---------------की धारा-6 के अन्तर्गत उपबन्धों / अवधि दिनॉक ---------से दिनॉक---------------------तक के लिए स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ । इस हेतु रुपया--------------/ प्रति रोलर बॉडी की दर से वार्षिक समाधान राशि का 5/12 भाग चालान सं0---------------दिनॉक --------------द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया गया है जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है शेष राशि को मै शासन के निर्देशों के अनुसार जमा करता रहूँगा ।

4- यदि रोलर बॉडी की संख्या/ क्षमता में कोई वृद्वि होती है तो उसकी सूचना वृद्वि के 15 दिन के अन्दर अपने कर निर्धारण अधिकारी को दे दूँगा और इसके अनुसार संशोधित एकमुश्त धनराशि भी निर्देशों के अनुसार जमा करुँगा ।

5- मै यह भी स्वीकार करता हूँ कि यदि देय एक मुश्त धनराशि मेरी फर्म द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा नही की गयी तब उसकी तथा उस पर देय ब्याज की वसूली मालगुजारी की बकाया के रुप में करने तथा उ0 प्र0 वाणिज्य कर अधिनियम 2008 की सुसंगत धाराओं में अर्थदण्ड लगाने का अधिकार मेरे कर निर्धारण अधिकारी को होगा ।

6- यदि प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र मे घोषित कोई सूचना अथवा विवरण जॉच के परिणाम स्वरुप त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाया जाता है तो कमिश्नर वाणिज्य कर का दिया गया निर्णय मुझे स्वीकार होगा ।

7- मै यह भी प्रमाणित करता हूँ कि समाधान धनराशि के रुप में जमा की गयी धनराशि क्रेताओं के लाभ से वसूल नही की गयी है ।

दिनॉक-----------------

हस्ताक्षर-----------------

पूरापता---------------------

प्रास्थिति---------------------

फर्म की मोहर-------------

मै इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ । यह फर्म / कम्पनी के स्वामी /साझीदार / प्रबन्ध संचालक है तथा इस प्रार्थना पत्र पर मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये है ।

स्थान----------------------

दिनॉक -------------------

(प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम --

पूरा पता--